

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-177/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० स्वीटी ठाकुर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (चर्मरोग), बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना बिहार के द्वारा दिनांक-05.02.2026 से 21.03.2026 तक कुल-45 (पैंतालीस) उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2220(25), दिनांक-22.10.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० स्वीटी ठाकुर को 565 (पाँच सौ पैसठ) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-177/2025- 605(2) पटना, दिनांक 20/3/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना/डा० स्वीटी ठाकुर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (चर्मरोग), बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

WamanKumarJha
सरकार के उप सचिव
1